

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 27 ]  
No. 27 ]

दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2011, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1933  
DELHI, JULY 15—JULY 21, 2011, THURSDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1933

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 91, 94  
| N.C.T.D. No. 91, 94

भाग—IV  
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

(राजपत्रित अधिकारी प्रभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जून, 2011

DIRECTORATE OF EDUCATION

(Gazetted Officer's Cell)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th June, 2011

सं. फा. 26(31)/शिक्षा/जी.ओ.सी./11214-11225.—दिल्ली विद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 11 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्री एन. पी. कौशिक, अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यकाल को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए दिनांक 01-06-2011 से 31-05-2012 तक दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी प्रतिनियुक्त करते हैं।

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
के आदेश तथा उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

F. No. 26(31)/GOC/EDN/2010/11214-11225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the period of deputation of Shri N.P. Kaushik, an officer of the Delhi Higher Judicial Service, as Presiding Officer of the Delhi School Tribunal, for another one year w.e.f. 01-06-2011 to 31-05-2012.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.